Toppersnotes
Unleash the topper in you

RPSC

सहायक आचार्य

हिन्दी

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

पेपर – 1 || भाग – 1

SIERRA INNOVATIONS

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर – पेपर - I – (हिन्दी)

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
इकाई - I : हिन्दी भाषा तथा व्याकरण		
1.	हिन्दी भाषा	1
2.	शब्द रचना [समास, संधि, उपसर्ग व प्रत्यय के भेद]	26
3.	समास	53
4.	उपसर्ग	68
5.	प्रत्येय	75
6.	वाक्य-रचना	87
7.	शब्द – शुद्धीकरण	89
8.	प्रकरण-देवनागरी लिपि में गिनती	93
9.	वाक्य शुद्धिकरण	97
10.	भाषा ज्ञान	103
11.	लोकोक्ति कहावतें	108
12.	राजस्थानी कहावतें व मुहावरे	112
13.	संज्ञा	113
14.	क्रिया विशेषण परिभाषा	116
15.	समुच्चय बोधक अव्यय: परिभाषा, भेद और उदाहरण	118
16.	संबंध सूचक (परिभाषा, भेद और उदाहरण)	121
इकाई - II : भारतीय काव्यशास्त्र		
17.	काव्य के लक्षण	123
18.	काव्य-हेतु	126
19.	विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रतिपादित काव्य-हेतु	127
20.	काव्य हेतुओं का विवरण	129
21.	काव्य प्रयोजन	130
22.	काव्य रस	135
23.	रसों की संख्या	142

24.	साधारणीकरण	147
25.	रस – निष्पत्ति	149
26.	ध्वनि - सिद्धांत	150
27.	काव्य के भेद — 3	152
28.	वक्रोक्तिवाद	156
29.	अलंकार	159
30.	पाठ्यक्रमानुसार निर्धारित प्रमुख अलंकार	161
31.	छंद	181
32.	कवित्त (मनहरण कवित्त) छंद	189

I UNIT

हिन्दी भाषा तथा व्याकरण

हिन्दी भाषा

राजस्थानी हिन्दी

- इस उपभाषा का क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान तथा मालवा जनपद के साथ-साथ सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
- इस वर्ग की बोलियाँ बोलने वालों की संख्या चार करोड़ से कुछ अधिक है।
- इस उपभाषा के अंतर्गत चार बोलियाँ आती हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी तथा जयपुरी/ढूँढ़ाणी राजस्थानी हिंदी उपभाषा 'ट ' वर्ग बहुला उपभाषा है।
- इन ध्वनियों के साथ मराठी में विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाली ‘ळ’ ध्वनि भी इसमें प्रयुक्त होती है।
- पुल्लिंग एकवचन शब्द इसमें प्रायः अकारांत होते हैं, जैसे हुक्को, तारो, इत्यादि।
- पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में आँ का प्रयोग इस उपवर्ग की एक विशेष प्रवृत्ति है जैसे तारों, राताँ इत्यादि।
- हिंदी के ‘को’ उपसर्ग के स्थान पर ‘नै’ तथा ‘से’ परसर्ग के स्थान पर ‘सूँ’ का प्रयोग इसमें किया जाता है।

मारवाड़ी

- भौगोलिक क्षेत्र : जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चुरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में।
- राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली है।
- मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी आदि 'मारवाड़ी' की प्रमुख उपबोलियाँ हैं।
- पुरानी मारवाड़ी को ही ‘डिंगल’ कहा जाता है। मीरा के पद कहीं ‘ब्रजभाषा’ और कहीं 'मारवाड़ी' में हैं।

ढूँढ़ाणी/जयपुरी

- ढूँढ़ाणी मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुर का पुराना नाम ढूँढ़ाण है, इस कारण से जयपुरी को ढूँढ़ाणी भी कहते हैं।
- तोरावटी, काठँड़ा, चौरासी, अजमेरी, हाड़ौती जयपुरी की उपबोलियाँ हैं।
- ढूँढ़ाणी में ‘ण’ के स्थान पर ‘न’ का प्रयोग दिखाई देता है, यथा- मणै - मनै, तूणे - तूने, वाणे वाने आदि।

मालवी

- भौगोलिक क्षेत्र : उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक
- लंबे समय तक उज्जैन के आस-पास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा, इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। सोंडवाड़ी, राँगड़ी, पाटबी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य उपबोलियाँ हैं।
- इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है, यथा-लकड़ी-लाकड़ी, कपड़ा-कापड़ा आदि।
- 'ऐ' तथा 'औ' के स्थान पर 'ए' तथा 'ओ' का प्रयोग।
- मालवी के प्रमुख सर्वनाम हैं:- के (कौन), कीने (किसने), के (क्या) आदि।
- कारकों में कर्म के साथ 'खे' तथा करण के साथ 'ती' का प्रयोग होता है।

मेवाती

- मेवाती बोली मेव जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है।
- मेवाती की एक मिश्रित उपबोली 'अहीरवाटी' है, जो गुड़गाँव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र आदि में बोली जाती है।
- राठी, नहरे, कठर, गुजरी आदि मेवाती की अन्य उपबोलियाँ हैं।
- मेवाती की हरियाणी से निकटता प्रायः विद्वानों ने स्वीकार की है।

'बिहारी हिंदी' उपभाषा

- इस उपभाषा में तीन प्रमुख बोलियाँ आती हैं-भोजपुरी, मगही और मैथिली।

भोजपुरी

- भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग में राजा चेतसिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ।
- बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोले जानेवाली बोली भोजपुरी है।
- बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बोली भोजपुरी है।
- लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है।
- भारत के बाहर भी मॉरिशस, फ़िजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है।
- भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का 'शेक्सपियर' कहा जाता है। उन्होंने 'बिदेसिया' सहित बारह नाटकों की रचना की है।

मगही

- मगही या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा।
- मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है।
- मगही का परिनिष्ठित रूप 'गया' ज़िले में प्रयुक्त होता है।
- मगही में पर्याप्त लोकसाहित्य उपलब्ध है।
- गोपीचंद और लोरिक के लोकगीत प्रसिद्ध हैं।
- अधिकरण कारक में 'मों' का प्रयोग तथा सर्वनाम में 'आप' का प्रयोग होता है।

मैथिली

- मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है।
- उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिकाछिकी और जोलहा बोली मैथिली की छः उपबोलियाँ हैं।
- साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है।
- मैथिली में 'छ' और 'ल' ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है।
- एकवचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सब, सबहि, लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
- मैथिली में प्रयुक्त सर्वनाम हैं:- अहाँ, ओकर, एकर आदि।
- इसकी क्रियाओं में कोई लिंगभेद नहीं होता।
- मैथिली संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है।

'पहाड़ी हिंदी' उपभाषा

- पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों मुख्यतः कुमाऊँ तथा गढ़वाल में बोली जाती है।
- 'पहाड़ी हिंदी' पर आर्यभाषा संस्कृत, तिब्बती चीनी तथा खस का भी प्रभाव रहा है। इसकी
- साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती है।
- इस उपवर्ग की बोलियों में सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है।
- इसकी बोलियाँ प्रायः अकारांत है, यथा — घोड़ो, कालो, चल्यो आदि।
- 'पहाड़ी हिंदी' के अंतर्गत दो बोलियाँ आती हैं:- कुमाऊँनी और गढ़वाली।

कुमाऊँनी

- नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र का पारंपरिक नाम कूर्मांचल है जिसे कुमाऊँ कहते हैं।
- इसकी बोली कुमाऊँनी बोली है।
- खसपरजिया, कुमैयाँ, फल्दकोटिया, पछाई, चौगरखिया, गंगोला, दानपुरिया, सीराली, सोरियाली, अस्कोटी, जोहारी, रउचो भैंसी, भोटिया आदि कुमाऊँनी की उपबोलियाँ हैं।
- इस पर राजस्थानी का प्रभाव है। इस प्रभाव के कारण 'ण' और 'ळ' ध्वनियाँ भी शामिल हैं। कौरवी के प्रभाव के कारण अल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।
- पुल्लिंग एक वचन में 'ओ' का बहुवचन रूप कुमाऊँनी में 'न' होता है, यथा- घोड़ो घोड़न आदि।
- कुमाऊँनी में कारक चिह्नों के रूप में कर्त्ता के साथ 'ले' कर्म के साथ 'कणि' तथा करण के साथ 'थे' का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया `छ' रूप में प्रयुक्त होती है।

गढ़वाली

- बावन गढ़ियों में बंटे होने के कारण 'केदारखंड' क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है और यहाँ की बोली गढ़वाली कहलाती है।
- उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप मानी जाती है।
- गढ़वाली बोली में भोटिया, शक, किरात, नागा और खस जातियों की भाषाओं के अनेक तत्त्व शामिल हैं।
- इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई पड़ता है।
- स्वरों के अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति इसमें बहुतायत दिखाई पड़ती है, यथा- छायाँ देत, पैंसा
- आदि।
- कारक चिह्नों के रूप में कर्त्ता के साथ 'ल', कर्म के साथ 'कूँ', 'कुणी' तथा करण के साथ 'से',
- 'ती' परसर्गों का प्रयोग होता है। पूर्वी हिंदी' उपभाषा पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है।
- प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कोसल तथा दक्षिणी कोसल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है।
- इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्ज़ापुर तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है।
- 'पूर्वी हिंदी' के अंतर्गत तीन बोलियाँ हैं:- अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।

अवधी

- 'अवधी' अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है।
- इस बोली के लिए 'कोसली', 'बैसवाड़ी' शब्दों का प्रयोग भी होता है।
- 'प्राकृत पैंगलम' में पुरानी अवधी के रूप मिलते हैं।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बघौनी अवधी की मुख्य उपबोलियाँ हैं।
- फ़िजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई आदि देशों में कुछ जनसंख्या अवधी में बातचीत भी करते हैं।

अवधी के विकास को तीन कालों में विभाजित किया गया है-

- प्रारंभ से 1400 ई. तक 'आदिकाल', 1400 ई. से 1700 ई. तक 'मध्यकाल' और 1700 ई. से आज तक 'आधुनिक काल'।

बघेली

- रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली 'बघेलखंडी' या बघेली कहलाई।
- जुड़ार, गहोरा, तिरहारी बघेली की उपबोलियाँ हैं।
- बाबूराम सक्सेना 'बघेली' को 'अवधी' की ही एक उपबोली मानते हैं।
- अवधी और बघेली में बहुत-सी समानताएँ हैं।

छत्तीसगढ़ी

- छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है।
- इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिणी कोसल भी कहा गया है।
- छत्तीसगढ़ी को 'लरिया' या 'खल्टाही' भी कहते हैं।
- सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिंझवाली मुख्य उपबोलियाँ हैं। भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी पर देखा जा सकता है।

'पश्चिमी हिंदी' उपभाषा

- 'पश्चिमी हिंदी' हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है, जिसका क्षेत्र अंबाला से कानपुर तक तथा
- देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक विकसित है। इसकी बोलियाँ निम्नलिखित हैं:-

ब्रजभाषा

- ब्रज का अर्थ है - 'पशुओं या गायों का समूह' या चरागाह।
- पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रजभाषा।
- ब्रज या ब्रजी एक बोली होने पर भी मध्ययुग में हिंदी प्रदेश से बाहर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग हुआ और साहित्य रचा जाता रहा, इस कारण भाषा शब्द ब्रज के साथ जुड़ गया और 'ब्रजभाषा' शब्द बना।
- इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में 'पिंगल' तथा मध्यकाल में 'भाखा' नाम से मिलता है।
- भूक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी आदि ब्रजभाषा की मुख्य उपबोलियाँ हैं।
- बंगाली कवि ईश्वरचंद्र गुप्त ने 'ब्रजबुलि' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
- ब्रजभाषा का विकास तीन कालों में विभाजित किया गया है।
- आरंभ से 1525 ई. तक 'आदिकाल', 1525 से 1800 ई. तक 'मध्यकाल' और 1800 ई. से अबतक 'आधुनिक काल'।

खड़ी बोली

- खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। 'कौरवी' का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया था।
- बीम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेंद्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कौरवी है।
- खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोलबुक ने कन्नौजी' को माना, इस्टाविक तथा मुहम्मद हुसैन ने 'ब्रजभाषा' को माना और मसऊद हसन खाँ ने 'हरियाणी' को माना है।

विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ

- सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ है — 'सीधी'।
- कामताप्रसाद गुरु खड़ी बोली का अर्थ 'कर्कश' से लेते हैं।
- गिलक्राइस्ट की मान्यता है कि खड़ी बोली का संबंध (गँवारू) से है।
- किशोरीदास वाजपेयी खड़ी बोली के अर्थ को खड़ी 'पाई' से संबंधित मानते हैं।
- अन्य भाषा वैज्ञानिक खड़ी बोली से खरी या शुद्ध का संबंध जोड़ते हैं।
- वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्खिनी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैं।

बुंदेली

- बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा।
- भू-भाग की व्यापकता की दृष्टि से बुंदेली पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली है।
- बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। (ईशुरी के फाग' बहुत प्रसिद्ध है।

- 'आल्हा' एक प्रसिद्ध लोकगाथा है, जिसे बुंदेली की ही एक उपबोली 'बनाफरी' में लिखा गया था।
- धीरेंद्र वर्मा मानते हैं कि (बुंदेली), कन्त्रौजी के समान ही ब्रज की एक उपबोली है।
- इसके उच्चारण में अल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे — आधा> आदा, दूध> दूद आदि।

कन्नौजी

- कन्नौजी शब्द संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से विकसित हुआ है। (कान्यकुब्ज कण्णउज्ज → कन्नौज)
- कुछ विद्वान कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही रूप मानते हैं।
- ग्रियर्सन ने इसे अलग बोली माना है। कन्नौज जनपद का पुराना नाम पांचाल था।
- इस बोली में मध्यम 'ह' का लोप हो जाता है, जैसे- जाहि>जाइ, करहुकरठ आदि।
- हिंदी की अंतिम महाप्राण ध्वनि का यहाँ अल्पप्राणीकरण हो जाता है, जैसे - हाथ > हाँत आदि।
- कन्नौजी में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रा में मिलती है, जैसे- बात> बाँत आदि।

हरियाणी (हरियाणवी)

- इसका मूल संबंध हरियाणा राज्य से है। ग्रियर्सन ने इसे बांगरु कहा।
- धीरेंद्र वर्मा ने हरियाणी को स्वतंत्र बोली नहीं माना और खड़ी बोली का ही एक रूप माना है।
- हरियाणी को 'जाटू' भी कहते हैं।
- हरियाणी में 'लोक साहित्य' पर्याप्त मात्रा में है।

दक्खिनी

- दक्खिनी हिंदी का अन्य नाम है:- दकनी, देहलवी, हिन्दवी, गूजरी।
- हैदराबाद में दक्खिनी हिंदी का एक विशिष्ट रूप प्रचलित है जिसे 'हैदराबादी हिंदी' कहा जाता है।
- 'गूजरी' इसका वह रूप है जो गुजरात के कवियों के साहित्य में प्रयुक्त है, यथा- मुहम्मद शाह कादिरी के काव्य में।
- दक्खिनी हिंदी के प्रमुख स्थान आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व मद्रास हैं। दक्खिनी हिंदी की मुख्य
- उपबोलियाँ हैं- गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी,

दक्खिनी हिंदी की विशेषताएँ

- खड़ी बोली के सभी स्वर दक्खिनी हिंदी में मिलते हैं।
- खड़ी बोली के सभी व्यंजन इसमें भी मिलते हैं।
- इनके अतिरिक्त, 'गु' तथा 'फ' जैसी ध्वनियाँ अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती हैं।
- ड़ के स्थान पर ड प्रयोग करने की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे- पड़ा>पडा आदि।
- महाप्राण ध्वनियों का अल्पप्राणीकरण काफ़ी ध्वनियों में दिखाई देता है, जैसे — मूरख>मूरक, मुझे>मुजे।
- कहीं-कहीं अल्पप्राण ध्वनियों का महाप्राणीकरण भी होता है।
- उदाहरण के लिए पलक>पलख, पहचान>पछान आदि।
- एक शब्द की विभिन्न ध्वनियों के विपर्यय की प्रवृत्ति दक्खिनी की एक प्रमुख विशेषता है। उदाहरण के लिए — लखनऊ>नखलऊ,

सर्वनाम व्यवस्था इस प्रकार है:-

- उत्तम पुरुष - मेरेकूँ, हमन, मंज, मुज
- मध्यम पुरुष — तुज, तुमें, आप हिं
- अन्य पुरुष - उनन, उनने
- अन्य सर्वनाम - जित्ता, जित्ती, उत्ता, उत्ती।

क्रिया व्यवस्था के प्रमुख प्रयोग इस प्रकार हैं:-

- वर्तमानकाल- अहै, है, हैं, हूँ, हैगा
- भूतकाल- कह्या, बोल्या, था, थ्या।
- भूतकाल की क्रियाओं में 'यकर' प्रत्यय का प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में होता है, जैसे - आकर>आयकर, रोकर>रोयकर आदि।
- दक्खिनी हिंदी में आरंभिक काल में खड़ी बोली की शब्दावली हो सर्वाधिक प्रचलित रही। इसमें
- फ़ारसीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई।
- इसके अतिरिक्त, मराठी, तेलुगू और कन्नड़ के स्थानीय शब्द भी सीमित मात्रा में शामिल होते गए।

हिंदुस्तानी

- हिंदुस्तानी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है - 'हिंदुस्तान+ई'।
- धीरेंद्र वर्मा, ग्रियर्सन आदि विद्वानों का मत है कि यह नाम अँग्रेज़ों ने दिया है।
- 'तुजुक ए बाबरी' में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में यह शब्द 'हिंदी' या 'हिंदवी' का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है।
- हिंदुस्तानी में तद्भव तथा बहुप्रचलित संस्कृत तत्सम और अरबी-फ़ारसी के वे शब्द होते हैं, जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं।

खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएँ खड़ी बोली

- उद्भव-शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से।
- उपभाषा वर्ग—पश्चिमी हिंदी का प्रतिनिधि रूप।
- भौगोलिक विस्तार-मेरठ केंद्र है, दिल्ली से देहरादून तक तथा अंबाला से हिमाचल के आरंभ तक का संपूर्ण क्षेत्र।
- साहित्यिक विकास-19वीं सदी से पूर्व विशेष नहीं- सिद्ध, नाथ, खुसरों, रहीम, संत काव्य, दक्खिनी हिंदी में आरंभिक रूप; 19 वीं सदी से तीव्र आरंभ। मानक हिंदी का मूल आधार। इसकी प्रमुख उपबोलियाँ पश्चिमी, पूर्वी और बिजनौरी मानी गई है।
- हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्खिनी एक सीमा तक खड़ी बोली पर ही आधारित है।

उच्चारण संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

- दीर्घस्वर के बात द्वित्व व्यंजन (राज्जा, बेट्टा, गाड्डी) शब्दों की अकारांतता, 'ह' का लोप (बहुबऊ, पहलवान पैलवान, साहब-साब, कहाँकां)
- 'न' के स्थान पर'ण'. (मनुष्य-माणस, नहींणीं, भाग्नवान-भागामाण)
- ल का प्रयोग (निकाल, बदल) अल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति जैसे—धोखा>धोका
- प्रारंभिक स्वर का लुप्त होना जैसे —इकट्ठा>कट्ठा

व्याकरण संबंधी विशेषताएँ

- संज्ञा का एक रूप (प्राय: आकारांत) पाया जाता है।
- स्त्रीलिंग के लिए ई, अन, नी प्रत्यय प्रमुख हैं। कारक व्यवस्था में निर्विभक्तिक प्रयोग नहीं के बराबर हैं।
- आकारांत विशेषण विकारी हैं। जैसे—छोटा>छोटी अन्य विशेषण अविकारी बने रहते हैं।

ब्रजभाषा

- उद्भव- शौरसेनी अपभ्रंश से उपभाषा वर्ग-पश्चिमी हिंदी से संबंधित पर अवधी से अत्यंत निकटता
- भौगोलिक विस्तार- ब्रज मंडल का संपूर्ण क्षेत्र।
- मूलतः मथुरा, वृंदावन, आगरा में प्रयुक्त। हरियाणा का भी कुछ भाग, जैसे — पलवल, होडल इत्यादि।

साहित्यिक विकास

- आदिकाल में 'पिंगल' की परंपरा में उपस्थित।
- प्राकृत पैंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पृथ्वीराज रासो में आरंभिक रूप। नाथ साहित्य व खुसरो की कविताओं में भी उपस्थिति। भक्तिकाल में कृष्ण काव्यधारा में प्रचुरता। रीतिकाल के समय अखिल भारतीय साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित।

ब्रजभाषा की व्याकरणिक विशेषताएँ

- 'ऐ' और 'औ' ब्रजभाषा की विशेष ध्वनियाँ हैं। जैसे करै (करे), ऊधौ (ऊधो), तौ (तो)।
- ब्रजभाषा में अकारांत बहुलता है। जैसे—आयो (आया) होतो (होता)।
- अवधी की भांति ब्रजभाषा में भी व्यंजन के अल्पप्राणीकरण की प्रवृति है, जैसे बारा (बारह), तुमारो (तुम्हारा)।
- ज़्यादातर 'ण' का रूप 'न' ही मिलता है, जैसे — गनपति।
- (ल) और 'द' को 'र' करने की प्रवृति ब्रजभाषा में काफ़ी है, जैसे —पीरो (पीला) दुबरो (दुबला)।
- संयुक्त व्यंजन मिलते तो है, लेकिन प्रायः उन्हें तोड़कर सरल करने की प्रवृति ज़्यादा है, जैसे-सबद (शब्द), सुरग (स्वर्ग), मारग (मार्ग)।
- प्रायः पुल्लिंग एकवचन शब्द रूप ओकारांत है, जैसे - 'डांडो', जिसका तिर्यक रूप डांड़े भी मिलता है।
- स्त्रीलिंग एकवचन प्रायः ईकारांत मिलते हैं, जैसे —थारी
- पूर्वी हिंदी अवधी से पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा की विशिष्ट पहचान उसमें कर्त्ता के 'नै' चिह्न का होना है।
- 'ने' प्रायः ब्रजभाषा में 'नै' रूप में मिलता है।
- हालाँकि प्राचीन ब्रजभाषा में यदा-कदा कारकों के कुछ विभक्ति रूप मिल जाते हैं जो 'हिं' 'ए' और 'ऐ' आदि प्रत्यय लगाकर बनते है।
- संज्ञा का एक ही रूप पाया जाता है।
- स्त्रीलिंग के लिए ई, इया, आइन तथा आनी प्रत्यय- गौरी, ललाइन, देवरानी, अखियाँ/ बिटिया। कहीं-कहीं नपुंसकलिंग का प्रयोग भी, जैसे- सोना >सोनो।
- वचन व्यवस्था में एँ, अन, इन प्रत्ययों का प्रयोग किताब>किताबें, किताबन
- विशेषण विशेष्यानुसार विकारी होते हैं, जैसे कालो छोरो>काले छोरे

अवधी

- उद्भव-अर्धमागधी अपभ्रंश से उपभाषा वर्ग-पूर्वी हिंदी उपभाषा का प्रतिबिधि रूप।
- भौगोलिक विस्तार-लखनऊ, फ़ैज़ैबाद, अयोध्या ,सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली तथा आसपास का क्षेत्र। विदेशों में भी प्रयुक्त-फ़ीजी त्रिनिदाद आदि में।
- साहित्यिक विकास-राउलवेल, उक्तिव्यक्तिप्रकरण में आरंभिक रूप।
- सूफ़ी काव्यधारा में ठेठ अवधी का प्रयोग।
- रामकाव्यधारा में अवधी का विस्तार।
- हिंदू प्रेमाख्यानकारों ने अवधी का प्रयोग किया। कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित आदि कुछ कवि अभी
- भी अवधी में सक्रिय हैं।

अवधी की व्याकरणिक विशेषताएँ

- उच्चारण के स्तर पर अवधी उकारांतता प्रधान भाषा है।
- 'ऐ' और औ का उच्चारण संध्यक्षरों के रूप में होता है। (चौउड़ा, आदि)
- 'ण', 'ड़', 'ष' तथा 'व' के स्थान पर क्रमशः 'न', 'र', 'स' तथा 'ब' का प्रयोग। कौण>कौन,
- सड़क>सरक, ऋषि>रिषि, विश्व>बिस्व।

- संज्ञा के तीन रूप मिलते हैं, जैसे —नदी-नदीयनदीवा।
- लिंग व्यवस्था में प्रायः इया परसर्ग का प्रयोग होता है।
- वचन व्यवस्था में एँ, न तथा न्ह प्रत्ययों का प्रयोग होता है।
- निर्विभक्तिक प्रयोग कहीं-कहीं दिखते हैं।
- विशेषण प्रायः अविकारी बने रहते हैं।

हिंदी भाषा-प्रयोग के विविध रूप

- भारत की स्वाधीनता से पहले, हिंदी में 'राजभाषा' शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता।
- सबसे पहले सन 1949 ई. में भारत के महान् नेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में 'नैशनल लैंग्वेज' के समानांतर 'स्टेट लैंग्वेज' शब्द का इस उद्देश्य प्रयोग से किया कि 'राष्ट्रभाषा' और 'राजभाषा' में अंतर रहे और दोनों के स्वरूप को अलगाने वाली विभेदक रेखा को समझा जा सके।
- संविधान सभा की कार्रवाई के हिंदी-प्रारूप में 'स्टेट लैंग्वेज' का हिंदी अनुवाद 'राजभाषा' किया गया और इस प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया।
- बाद में संविधान का प्रारूप तैयार करते समय, 'स्टेट लैंग्वेज' के स्थान पर `ऑफ़िशियल लैंग्वेज' शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझा गया और 'ऑफ़िशियल लैंग्वेज' का हिंदी अनुवाद 'राजभाषा' ही किया गया। (सरकारी या कार्यलयी भाषा नहीं) इस परिप्रेक्ष्य में, राजभाषा शब्द का तात्पर्य है-

  (क) राजा (शासक) अथवा राज्य (सरकार) द्वारा प्राधिकृत भाषा। भारतीय लोकतंत्र में शासन या सरकार का गठन संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। अतः दूसरे शब्दों में 'राजभाषा' का तात्पर्य है।

  (ख) संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान-मंडलों तथा न्यायायिक कार्यकलाप के लिए स्वीकृत भाषा। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति संविधान के लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएँ घटीं, वे इस प्रकार हैं।

  (क) राष्ट्रपति का आदेश 1955 में यह आदेश जारी किया गया कि जहाँ तक संभव हो, जनता के साथ पत्र-व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अँग्रेज़ी के साथ बढ़ावा दिया जाए, पर साथ ही यह बात भी लिख दी जाए कि अँग्रेज़ी पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा।

  (ख) राजभाषा आयोग 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए, उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं-
- पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े हेरफेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए।
- हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा, अवश्य सीखनी चाहिए।
- चौदह वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा दिया जाना चाहिए।
- प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए।
- इसके लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र रखा जाना चाहिए।
- देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
- हिंदी के विकास का दायित्व सरकार की एक प्रशासनिक इकाई पर डालना चाहिए।
- उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए।

इन सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। समिति ने 1959 ई. में जो सुझाव दिए, वे इस प्रकार हैं

- जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें, तब तक वे अँग्रेज़ी में कार्य करते रहें।
- पैंतालीस वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण से छूट दे देनी चाहिए।
- उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को अँग्रेज़ी में ही रहना चाहिए।
- केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अँग्रेज़ी को ही बने रहने देना चाहिए।
- 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाए।

राजभाषा आयोग तथा संसदीय समिति की सिफ़ारिशों पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया, उसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-

(i) पैंतालीस वर्ष से कम उम्र वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए।

(ii) अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अँग्रेज़ी बना रहे। धीरे-धीरे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की व्यवस्था की जाए।

(iii) हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए एक स्थायी आयोग का निर्माण किया जाए।

(iv) 'विधायी आयोग' की स्थापना की जाए जो विधिकोश का निर्माण करे ताकि विधि संबंधी शब्द हिंदी में अनूदित हो सकें।

(v) शिक्षा मंत्रालय हिंदी के प्रचार की व्यवस्था करे। इस कार्य में ग़ैर-सरकारी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है।

(vi) राजकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए गृहमंत्रालय योजना तैयार करें।

इस आदेश के तहत दो आयोगों की स्थापना कर दी गई (क) वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग, (ख) विधायी आयोग। प्रशासनिक तथा विधि-साहित्य का अनुवाद होने लगा तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी आरंभ हो गई।

(ग) राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथासंशोधित)

- संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनना था, पर इससे ठीक पहले अहिंदी क्षेत्रों, विशेषतः पश्चिमी बंगाल तथा तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। ऐसी स्थिति में पंडित नेहरू ने अहिंदी भाषी क्षेत्रों को आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले अहिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाएगी। इसी आश्वासन की पूर्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग यथावत् चलता रहेगा। उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।
- संघ के संकल्पों, अधिसूचनाओं, विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा।
- जब तक अहिंदी भाषी राज्य अँग्रेज़ी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेंगे, तब तक अँग्रेज़ी का प्रयोग चलता रहेगा।

संकल्प 1968

- 1967 के संशोधन के बाद अहिंदी भाषी राज्यों की चिंता तो समाप्त हो गई, किंतु उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। ऐसी जटिल स्थिति में संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया जो इस प्रकार है-
  - ✓ सरकार हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी।
  - ✓ भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी। इसके अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अँग्रेज़ी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा (विशेषतः दक्षिण भारतीय भाषा) का अध्ययन अनिवार्य होगा तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा और अँग्रेज़ी के अतिरिक्त हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होगा।
  - ✓ केंद्रीय सेवा में भर्ती के लिए हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होगा। सरकार आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी।

राजभाषा नियम, 1976

- भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा।
- इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई जो बाद में स्वतंत्र राजभाषा विभाग हो गया।
- राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैंदेश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को तीन वर्गों में बाँटा गया।
- क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग।
- क वर्ग में वे राज्य आते हैं जिनकी पहली भाषा हिंदी है।
- ये राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली।
- ख वर्ग में प्रायः वे राज्य आते हैं जिनमें हिंदी समझी जाती है किंतु पहली भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं होती।
- इनमें प्रमुख हैं—पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और अंडमान-निकोबार।
- ग वर्ग में शेष सब राज्य आते हैं। इन राज्यों में प्रायः हिंदी नहीं समझी जाती है। ये राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्य तथा दक्षिण भारत के चारों राज्य।
- क क्षेत्र के पत्रों आदि के लिए निश्चित किया गया कि उनमें हिंदी का प्रयोग हो। अगर अँग्रेज़ी का प्रयोग किया जाए तो साथ में हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए।
- ख क्षेत्र के साथ पत्राचार समान्यतः हिंदी में हो तथा ग क्षेत्र के साथ पत्राचार अँग्रेज़ी में ही होता रहे।
- हिंदी में कहीं से प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होगा। सभी दस्तावेज़ हिंदी व अँग्रेज़ी दोनों भाषाओं में साथ-साथ निकाले जाएँगे। इसका उत्तरदायित्व दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा।
- केंद्र, सरकार के सभी फ़ॉर्म, नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष, मुहरें आदि हिंदी व अँग्रेज़ी दोनों भाषाओं में होंगी।
- प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह भाषा संबंधी नियमों और आदेशों का अनुपालन कराए और जाँच पड़ताल करता रहे।

1976 के बाद राजभाषा की प्रगति

- 1976 से अब तक राजभाषा की प्रगति का विश्लेषण विभिन्न मंत्रालयों के अनुसार किया जा सकता है।
- भारत सरकार के तीन मंत्रालय राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न हैं-गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), विधि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग-राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष अपने उद्देश्य तय करता है तथा सभी मंत्रालयों पर उद्देश्य पूरे करने के लिए दबाव बनाता है।
- यह विभाग हिंदी नहीं जानवे वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है, जिसके लिए इस विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।
- कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए तीन पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज बनाए गए हैं।
- इसी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की गई है जिसका कार्य प्रशासनिक प्रकार के प्रत्येक साहित्य का अनुवाद करना है।
- ब्यूरो सरकारी सामग्री के अतिरिक्त सार्वजनिक उपकरणों, प्रतिष्ठानों तथा बैंकों की सामग्री का अनुवाद भी करता है। इनके अतिरिक्त अनुवादकों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी इसी को सौंपा गया है।
- राजभाषा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह केंद्रीय हिंदी समिति और मंत्रालयों की हिंदी समितियों की बैठकों का आयोजन करके उनमें तालमेल बैठाता है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कामकाज को निर्धारित करता है।
- इसके अतिरिक्त जो अन्य मंत्रालय राजभाषा के क्षेत्र में काम कर रह है उनके साथ संपर्क बनाए रखकर राजभाषा के विकास में आने वाली सभी बाधाओं दूर करता है।

विधि मंत्रालय

- विधि मंत्रालय का विधायी विभाग मूलतः विधि साहित्य अनुवाद से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग लगभग सारे विधि साहित्य का अनुवाद कर चुका है। इसके अतिरिक्त संसद में आने वाले सभी विधेयक पहले से हिंदी अनुवाद तैयार करके पेश किए जाते हैं।
- अपनी एक और योजना के तहत अब यह विभाग समस्त विधि-अनुवाद को इंटरनेट या 'निकनेट' के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया है।

शिक्षा मंत्रालय

- शिक्षा मंत्रालय और इसके अंतर्गत स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी की संभावनाओं को तलाशने और तराशने में जुटा है।
- उच्च शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद, स्तरीय पुस्तकों का हिंदी में प्रकाशन, द्विभाषी व त्रिभाषी कोशों का निर्माण आदि तो इसके कार्य है ही, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का निर्माण भी इसका एक प्रमुख कार्य है।

हिंदी की संवैधानिक स्थिति

- 14 सितंबर, 1949 ई. को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा अनुच्छेद-344 का दर्ज़ा दिया गया।
- भारतीय संविधान के भाग 5,6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में चार अध्याय हैं जो अनुच्छेद-343 से 351 के अंतर्गत समाहित हैं।
- यह मुंशी-आयंगर फ़ार्मूला के नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-120 (1) और 210 हैं जिनमें संसद एवं विधान मंडलों के भाषा संबंधी विवरण हैं।

अनुच्छेद-120 (1), (2)

- संविधान के अनुच्छेद-120 (1) में कहा गया है"संसद में कार्य हिंदी में या अँग्रेज़ी में किया जाएगा।" आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अँग्रेज़ी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।
- अनुच्छेद- 120 (2) में उपबंध है, "जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो 'या अँग्रेज़ी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।" (अर्थात् 26 जनवरी, 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा।)

अनुच्छेद- 210

- संविधान के अनुच्छेद 210 (1) में कहा गया है-"राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अँग्रेज़ी में किया जाएगा।" आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में भी विचार प्रकट नहीं कर सकता।

अनुच्छेद- 343

- संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है "संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।" इसके अतिरिक्त "संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का
- अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।" इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अँग्रेज़ी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा।

- संविधान के अनुच्छेद-344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के पाँच वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा, जैसे — किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, अँग्रेज़ी का प्रयोग कहाँ व किस प्रकार सीमित किया जा सकता है आदि। इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ से 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा।

अनुच्छेद-345

- अनुच्छेद- 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अँग्रेज़ी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा।

अनुच्छेद- 346

- अनुच्छेद- 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद-347

- अनुछेद- 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जानेवाली भाषा को उस राज्य में (दूसरी भाषा के रूप में) मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रिय माँग की जाए, तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अनुच्छेद-348

- अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियों अँग्रेज़ी में ही होंगी। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषयों के प्राधिकृत पाठ अँग्रेज़ी में होंगे-
  - ✓ संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने
  - ✓ वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन।
  - ✓ संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश।
  - ✓ संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम और उपविधियो इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा या उस राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, पर यह बात उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी।

अनुच्छेद-349

- अनुच्छेद- 349 के अनुसार संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफ़ारिशों पर और उन सिफ़ारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद- 350

- अनुच्छेद- 350 के अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो भाषायी आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही, अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

अनुच्छेद- 351

- अनुच्छेद- 351 में कहा गया है- "संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात् करते हुए, और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द - भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।"

संविधान में कुल भाषाएँ

- संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएँ थीं।
- संविधान के 21 वें संशोधन (1967) के अंतगर्त सिंधी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
- संविधान के 71 वें संशोधन अधिनियम (1992) के द्वारा आठवीं अनुसूची में 'नेपाली', ‘मणिपुरी’ और ‘कोंकणी’ को जोड़ा गया।
- संविधान के 92 वें संशोधन अधिनियम (2003) के द्वारा आठवीं अनुसूची में 'मैथिली', 'डोगरी', 'बोडो' और 'संथाली' को शामिल किया गया।
- संविधान के अनुच्छेद-344 (1) और अनुच्छेद- 351 में आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट
- भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है, जो संख्या में बाईस हैं-

1. असमिया,
2. नेपाली,
3. मणिपुरी,
4. बांग्ला,
5. ओड़िया,
6. कश्मीरी,
7. सिंधी,
8. पंजाबी,
9. संस्कृत,
10. हिंदी,
11. उर्दू,
12. गुजराती,
13. मराठी,
14. कन्नड़,
15. कोंकणी,
16. मलयालम,
17. तेलुगू,
18. तमिल,
19. बोडो,
20. मैथिली,
21. संथाली और
22. डोगरी।

- देवनागरी लिपि, जिसे हिंदी, मराठी, नेपाली, और संस्कृत जैसी कई भारतीय भाषाओं के लिए उपयोग किया जाता है, एक ध्वन्यात्मक लिपि है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक अलग चिह्न होता है, और यह अक्षरात्मक लिपि है, जिसका अर्थ है कि व्यंजन स्वरों के साथ मिलकर उच्चारित होते हैं।

देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषताएं:

ध्वन्यात्मकता:

- देवनागरी लिपि एक ध्वन्यात्मक लिपि है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्ण एक विशिष्ट ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है।

अक्षरात्मकता:

- देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है, जिसमें व्यंजन स्वरों के साथ मिलकर उच्चारित होते हैं, जैसे कि "क" (k) वास्तव में "क्" (k) और "अ" (a) का संयोजन है बायें से दायें लेखन:
- देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जो इसे रोमन लिपि के समान बनाती है।

प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिह्नः

- देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिह्न होता है. जिससे इसे पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है।

शिरोरेखा:

- देवनागरी लिपि की एक विशिष्ट विशेषता शिरोरेखा (वर्ण के ऊपर खींची गई रेखा) है, जो इसे अन्य लिपियों से अलग पहचान देती है।

वैज्ञानिकता:

- देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना जाता है क्योंकि इसके वर्णों का वर्गीकरण इस प्रकार है कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण एक ही वर्ग में आते हैं।

भाषाओं की विविधता:

- देवनागरी लिपि का उपयोग न केवल हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के लिए किया जाता है, बल्कि यह अन्य भाषाओं की ध्वनियों को भी व्यक्त कर सकती है।

मानकीकरण:

- देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसके वर्णों और वर्तनी को एकरूपता देने के लिए नियम बनाए गए हैं, जिससे इसे तकनीकी भाषा के रूप में उपयोग करना आसान हो गया है।

देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक

- भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिंदी का मानक रूप निर्धारित करना बहुत अवश्यक था, ताकि वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता रहे और टाइपराइटर आदि आधुनिक यंत्रों के उपयोग में लिपि की अनेकरूपता बाधक न हो।
- इन सभी बातों को ध्यान में रखकर केंदीय हिंदी निदेशालय ने शीर्षस्थ विद्वानों आदि के साथ वर्षो के विचार-विमर्श के पश्चात् हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का जो मानक स्वरूप निर्धारित किया, वह इस प्रकार है :

मानक हिंदी वर्णमाला

स्वर

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

मात्राएँ

ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ

अनुस्वार

- (अं)

विसर्ग

(अ:)

अनुनासिकता विह्न

ँ

व्यंजन

क	ख	ग	घ	ङ		
च	छ	ज	झ	ञ		
ट	ठ	ड	ढ	ण	ड़	ढ़
त	थ	द	ध	न		
प	फ	ब	भ	म		
य	र	ल	व		ळ	
श	ष	स	ह			

संयुक्त व्यंजन

क्ष त्र ज्ञ श्र

हल चिह्न

(ड)

गृहीत स्वर

ऑ ध ख़ ज़ फ

देवनागरी अंक

१	२	३	४	५
६	७	८	९	0

भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

- संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी वर्णमाला में तो ऋ, ऌ तथा ॡ भी सम्मिलित है, किंतु हिंदी में इन वर्णों का प्रयोग न होने के कारण इन्हे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नही दिया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंको के अंतरराष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग भी प्राधिकृत कर सकते है।

हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

- किसी भी भाषा के सीखने-सिखाने में सहायक या बाधक बनने वाले दो प्रमुख तत्व है, उसका व्याकरण और लिपि। लिपि का एक पक्ष है, सामान्य और विशिष्ट स्वनों के पृथक प्रतीक-वर्णों की समृद्धि, उनका परस्पर स्पष्ट आकार-भेद, लिखावट में सरलता तथा स्थान-लाघव एवं प्रयत्न-लाघव।

- लिपि का दूसरा पक्ष है, वर्तनी। एक ही स्वन को प्रकट करने के लिए विविध वर्णं का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और यह लिपि का एक सामान्य दोष माना जाता है। यद्यपि देवनागरी लिपि में यह दोष न्यूनतम है. फिर भी उसकी कुछ अपनी विशिष्ट कठिनाइयाँ भी है।
- इन सभी कठिनाइयों को दूर कर हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1961 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने अप्रैल, 1962 में अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की, जिन्हे सरकार ने स्वीकृत किया। इन्हें 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तिका.में व्याख्या तथा उदाहरण सहित प्रकाशित किया गया था।
- वर्तनी संबंधी अद्यतन नियम इस प्रकार है :

संयुक्त वर्ण

(क) खड़ी पाई वाले व्यंजन

- खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, यथा :

ख्याति, लग्न, विछ	व्यास
कच्चा, छज्जा	श्लोक
नगण्य	राष्ट्रीय
कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास	स्वीकृति
प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य	यक्ष्मा
शय्या	त्र्यंबक
उल्लेख	

(ख) अन्य व्यंजन

(अ) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर: **संयुक्त**, **पक्का**, **दफ्तर** आदि की तरह बनाए जाएँ, न कि *संयुक्त. पक्का, दफ्तर* की तरह।

(आ) उ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ध के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ, यथा:

वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा आदि।

(*वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिन्न, ब्रह्मा* नहीं।)

(इ) संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे, यथा: **प्रकार, धर्म, राष्ट्र**।

(ई) 'श्र' का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे 'थ' के रूप में नहीं लिखा जाएगा।

त + **र** के संयुक्त रूप के लिए **त्र** और **द्र** दोनों रूपों में से किसी एक के प्रयोग की छूट होगी। किंतु **'क्र' को 'कृ'** के रूप में नहीं लिखा जाएगा।

(उ) हल् चिह्न युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ **'इ'** की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व, यथा:

कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित आदि (*कुट्टिम, दिवतीय, बुद्धिमान, चिह्निनत* नहीं)।

(ऊ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे, उदाहरणार्थ:

संयुक्त, चिह्न, विद्या, चञ्चल, विद्वान, वृद्ध, अन्न, द्वितीय, बुद्धि आदि।

विभक्ति-चिह्न

(क) हिंदी के विभक्ति-चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में **प्रातिपदिक से पृथक्** लिखे जाएँ, जैसे:

राम ने, राम को, राम से, आदि तथा **स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से** आदि।

सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न **प्रातिपदिक के साथ मिलाकर** लिखे जाएँ, जैसे:

उसने, उसको, उससे, उसपर आदि।

(ख) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति-चिह्न हों, तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए, जैसे: **उसके लिए, इसमें से**।

(ग) सर्वनाम और विभक्ति के बीच **'ही', 'तक'** आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक् लिखा जाए, जैसे: **आप ही के लिए, मुझ तक को**।

क्रियापद

- संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएँ **पृथक्-पृथक्** लिखी जाएँ, जैसे:
- **पढ़ा** करता **है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं** आदि।

हाइफ़न

- हाइफ़न का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है:

(क) **द्वंद्व समास** में पदों के बीच **हाइफ़न** रखा जाए, जैसे:
राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती-संवाद, देख-रेख, चाल-चलन, हँसी-मजाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, खेलना-कूदना आदि।

(ख) **सा, जैसा** आदि से पूर्व हाइफ़न रखा जाए, जैसे: **तुम-सा, राम-जैसा, चाकू-से तीखे**।

(ग) **तत्पुरुष समास** में हाइफ़न का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं, जैसे: **भू-तत्व**। सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफ़न लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे: **रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या** आदि।

इसी तरह यदि **'अ-नख'** (बिना नख का) समस्त पद में हाइफ़न न लगाया जाए तो उसे **'अनख'** पढ़े जाने से **'क्रोध'** का अर्थ भी निकल सकता है।

अ-नति (नम्रता का अभाव) → *अनति* (थोड़ा),
अ-परस (जिसे किसी ने न छुआ हो) → *अपरस* (एक चर्म रोग),
भू-तत्व (पृथ्वी-तत्व) → *भूतत्व* (भूत होने का भाव) आदि।
ये सभी युग्म **वर्तनी और अर्थ** दोनों दृष्टियों से भिन्न-भिन्न शब्द हैं।

(घ) कठिन संधियों से बचने के लिए भी **हाइफ़न** का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे: **द्वि-अक्षर, द्वि-अर्थक** आदि।

'तक', 'साथ' आदि **अव्यय** सदा **पृथक्** लिखे जाएँ, जैसे: **आपके साथ, यहाँ तक**।

इस नियम को कुछ और उदाहरण देकर स्पष्ट करना आवश्यक है। हिंदी में — **आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, अथवा, और** आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले **अव्यय** हैं। कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति-चिह्न भी आते हैं, जैसे: **अब से, तब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से** आदि। नियम के अनुसार अव्यय **सदा पृथक्** लिखे जाने चाहिए, जैसे: **आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, पचास रुपए मात्र** आदि। **सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी'** अव्यय भी **पृथक्** लिखे जाएँ, जैसे: **श्री श्रीराम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी** आदि।

समस्त पदों में — प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय **पृथक् नहीं** लिखे जाएँगे, जैसे: **प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र, यथासमय, यथोचित** आदि। यह सर्वविदित नियम है कि **समास** होने पर **समस्त पद एक माना जाता है**। अतः उसे व्यक्त रूप में न लिखकर **एक साथ लिखना ही संगत है**।

भुरिपूलक 'य', 'व'